41 — 194

दिनांक : 09.05.2011 को परिषद मुख्यालय पर सम्पन्न समस्त संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) एवं क्षेत्रीय उपनिदेशकों (निर्माण) मण्डी परिषद की संयुक्त समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

गत बैठक के निर्देशों का अनुपालन

गत समीक्षा बैठक दिनांक : 09.04.2011 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की सूचना आगामी बैठक से पूर्व उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश दिये गये थे। मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ एवं आगरा संभागों से ही अनुपालन आख्याऐं प्राप्त हुयीं। शेष सम्भागों की अनुपालन आख्याऐं प्राप्त न होने के परिपेक्ष्य में समस्त संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) को निर्देशित किया गया कि बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आगामी बैठक से पूर्व अनुपालन आख्या अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाया करे।

आवक एवं आय

बैठक में निदेशक, मण्डी परिषद द्वारा आवक व मण्डी शुल्क की प्रगति के बारे में कृषि वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2011 तक की प्रगति प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि :–

कृषि वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल, 2011 तक प्रदेश की मण्डी समितियों में प्राथमिक आवक 281.35 लाख मी0 टन तथा कुल आवक 362.93 लाख मी0 टन हुई है जो गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 7.0% एवं 8.2% अधिक है।

कृषि वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल, 2011 तक कुल आय रू0 628.71 करोड़ हुई है जो गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में प्राप्त कुल आय रू0 599.33 करोड़ से रू0 29.38 करोड़ (अर्थात 4.9%) अधिक है।

कृषि वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल, 2011 तक मण्डी शुल्क से आय रू0 469.38 करोड़ हुई है जो गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में प्राप्त मण्डी शुल्क रू0 447.70 करोड़ से रू0 21.68 करोड़ (अर्थात 4.8%) अधिक है।

कृषि वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल, 2011 तक प्राथमिक आवक में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में आगरा, सहारनपुर एवं अलीगढ़ सम्भाग क्रमशः 30.4%, 15.5% एवं 15.5% की वृद्धि करके सबसे आगे रहे हैं।

इसी अवधि में प्राथमिक आवक की दृष्टि से बस्ती, बरेली, मिर्जापुर एवं मुरादाबाद सम्भागों की प्रगति क्रमशः –5.6%, –3.7% एवं –2.5% एवं –2.2% के साथ ऋणात्मक/सबसे खराब रही।

कृषि वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल, 2011 तक कुल आय में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में आगरा, अलीगढ़, एवं झांसी सम्भाग क्रमशः 17.4%, 17.3% एवं 16.4% की वृद्धि करके सबसे आगे रहे हैं।

इसी अवधि में कुल आय की दृष्टि से वाराणसी, गोरखपुर एवं बस्ती सम्भागों की प्रगति क्रमशः –8.5%, –4.1% एवं –4.0% के साथ सबसे पीछे रही है।

इलाहाबाद(–3.8%), बरेली(–3.2%), मिर्जापुर(–2.7%), कानपुर(–2.0%) एवं आजमगढ़ (–1.2%) सम्भागो की कुल आय भी ऋणात्मक है।

कृषि वर्ष 2010–11 में माह अप्रैल, 2011 तक मण्डी शुल्क में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अलीगढ़, झॉसी एवं मेरठ सम्भाग क्रमशः 20.8%, 18.2% एवं 17.1% की वृद्धि करके सबसे आगे रहे है।

इसी अवधि में मण्डी शुल्क की दृष्टि से वाराणसी, इलाहाबाद एवं आजमगढ़ सम्भागों की प्रगति क्रमशः –8.7%, –5.5% एवं –5.0% के साथ सबसे पीछे रही है।

बस्ती (–4.6%), गोरखपुर (–3.9%), बरेली (–2.2%), कानपुर (–1.4%) एवं मिर्जापुर (–1.2%) सम्भागों में भी मण्डी शुल्क से आय ऋणात्मक है।

बैठक में निम्नानुसार समीक्षा की गयी :–

(1) समीक्षा में दौरान जिन सम्भागों की माह अप्रैल 11 तक प्राथमिक आवक एवं मण्डी शुल्क की प्रगति ऋणात्मक परिलक्षित हुई, उन सम्भागों से सम्बन्धित संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) को निर्देशित किया गया कि वे अपने संभाग की ऋणात्मक एवं औसतन कम प्रगति वाली मण्डी समितियों पर नजर रखें और माह में कम से कम दो बार समीक्षा बैठक कर समुचित निर्देश/मार्गदर्शन प्रदान करते हुए प्रगति में सुधार करायें। जिन मण्डी समितियों में कमी के समुचित कारण न हों उनमें सख्ती से कार्यवाही अमल में लायी जाये।

(2) कृषि विभाग के अनुमान के अनुसार प्रदेश में गेहूँ का उत्पादन लगभग 300 लाख टन होना सम्भावित है परन्तु मण्डी समितियों में गेहूँ की आवक कम होने के दृष्टिगत संभागीय उपनिदेशकों (प्रशासन/विपणन) द्वारा अवगत कराया गया कि लेट हार्वेस्टिंग के कारण मण्डियों में अभी आवक

कम आ रही है। आगामी माह में गेहूँ की भरपूर आवक मण्डियों में होगी। उनके द्वारा यह भी आश्वस्त किया गया कि आगामी माह में प्रगति में सुधार हो जायेगा।

(3) प्रदेश के बाहर और प्रदेश के अन्दर आने वाली आवक को अभिलिखित करने हेतु एक रजिस्टर मण्डी समितियों में बनाये जाने के निर्देश गत बैठक में दिये गये थे, जिसके अन्तर्गत अपने सम्भाग की मण्डी समितियों का स्वयं निरीक्षण कर रजिस्टर बनवाने एवं माह में हुई द्वितीय आवक को सम्बन्धित मण्डियों से सत्यापन कराने के निर्देश थे परन्तु इस दिशा में प्रगति अभी प्रकाश में नहीं आयी है। इस दिशा में और अधिक प्रयासों की आवश्यकता के निर्देश दिये गये।

(4) प्रदेश की मण्डी समितियों में दलहन व तिलहन उत्पादों में द्वितीय आवक की मात्रा में बढ़ोत्तरी होने एवं प्राथमिक आवक को द्वितीय आवक में परिवर्तित करके मण्डी शुल्क अपवंचन की संभावनाओं के परिपेक्ष्य में गत समीक्षा बैठक में प्रारूप निर्धारित करते हुए समस्त सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) को निर्देश दिये गये थे कि माह मार्च 11' में दलहन/तिलहन के प्रत्येक मण्डी में प्राप्त समस्त गेटपासों का सत्यापन माह अप्रैल 11 में अवश्य करा लिया जाये तथा गेटपासों का सत्यापन करते हुए सूचना तैयार कर तथ्यात्मक रिपोर्ट बैठक से पूर्व उपलब्ध करायेंगे परन्तु अभी तक तत्सम्बन्धी रिपोर्टस् प्राप्त नहीं हैं। पुनः निर्देशित किया गया कि सत्यापन की रिपोर्टस तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(5) गत समीक्षा बैठक में बरेली व इलाहाबाद सम्भाग के संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) को कृषि उत्पाद धान के गेटपास अवैध तरीके से जारी करके मण्डी शुल्क अपवंचन की प्राप्त हो रही शिकायतों के परिपेक्ष्य में माह मार्च, 2011 में अभिलेखीय जाँच कर अपनी रिपोर्ट दलहन व तिलहन की भाँति आगामी बैठक से पूर्व उपलब्ध कराने तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करने कि आपके सम्भाग में अवैध गेटपास के माध्यम से कोई संचरण नहीं हुआ है, के निर्देश दिये गये थे परन्तु दोनों ही सम्भागों से अभी तक अपेक्षित रिपोर्टस प्राप्त नहीं हुई हैं। संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) बरेली एवं इलाहाबाद संभाग को पुनः निर्देशित किया गया कि तुरन्त अपेक्षित आख्या उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

<u>अवशेष मण्डी शुल्क एवं सेस</u>

(6) संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) वाराणसी संभाग व अन्य द्वारा एफ0सी0आई0 व आर0एफ0सी0 पर मण्डी शुल्क भुगतान अवशेष रहने तथा संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) कानपुर द्वारा कर्मचारी कल्याण निगम का मण्डी शुल्क प्राप्त न हो पाने की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराया गया कि इस कारणवश मण्डी शुल्क की प्रगति में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हो सकी। संबंधित विभागों से निदेशक स्तर से प्रयास किये जाने का अनुरोध किया गया।

मण्डी निदेशक द्वारा आश्वस्त करते हुए यह भी निर्देशित किया गया कि पूर्व में निर्देश दिये गये थे कि जिन मामलों में मा0 न्यायलयों का कोई स्थगन आदेश नहीं है उनमें प्रभावी वसूली करके अवशेष शून्य किया जाये। जिन मामलों में मा0 न्यायालय का आदेश है उसका विधिवत् परीक्षण कर मुख्यालय सूचित किया जाये परन्तु किसी भी संभाग से रिपोर्ट नहीं भेजी गयी और सकारात्मक प्रभावी कार्यवाही ही नहीं की गयी। यही कारण है कि अप्रैल 20118' के अन्त में प्रदेश में रू0 36.77 करोड़ मण्डी शुल्क और विकास सेस बकाया है जिसमें से मात्र रू 14.35 करोड़ पर स्थगन आदेश है। माह में ही कानपुर संभाग में 1.80 करोड़, अलीगढ़ में रू0 1.29 करोड़, मुरादाबाद में रू0 1.40 करोड़, बरेली में रू0 2.27 करोड़ एवं झाँसी में रू0 1.04 करोड़ बकाया बढ़ गयी है। पुनः निर्देशित किया गया कि अवशेष मण्डी शुल्क व विकास सेस की वसूली हेतु अपने स्तर पर यथा सम्भव प्रयास करें।

<u>प्रवर्तन कार्यवाहियाँ</u>

(7) प्रदेश के बाहर से आने वाली आवक अभिलेखों में दर्ज न करके अवैध व्यापार संचालित होने एवं उस पर अंकुश लगाये जाने के संबंध में प्रवर्तन कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश गत समीक्षा बैठक में दिये गये थे। परन्तु माह अप्रैल 11' की सूचना के अनुसार मेरठ, मुरादाबाद एवं झाँसी सम्भागों से प्रर्वतन की सूचना ही प्राप्त नहीं करायी गयी। साथ ही इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती, मिर्जापुर एवं अलीगढ़ सम्भागों में प्रवर्तन कार्यवाहियों के उपरान्त गत वर्ष की अपेक्षा शमन–शुल्क की प्राप्तियों में कमी रही। सम्बन्धित स0उ0नि0(प्र0/विप0) को निर्देशित किया गया कि वे निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें और प्रर्वतन कार्यवाहियों में तेजी लाते हुए अवैध संचरण पर अंकुश लगायें।

<u>कृषि उत्पादों के औसत भाव</u>

(8) सम्भाग के अन्तर्गत आने वाली मण्डी समितियों में एक ही जिन्स के औसत भावों में काफी अन्तर होने एवं मण्डी शुल्क के अपवंचन की संभावनाओं की जिज्ञासा के क्रम में समस्त सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) को निर्देश दिये गये थे कि औसत भावों की अपने स्तर पर माइक्रोलेविल समीक्षा करें और उनमें सुधार लाया जाये परन्तु माह अप्रैल 11' के प्रस्तुत विवरण से

अभी भी इसमें सुधार न हो पाना परिलक्षित हो रहा है। संभागवार उत्पादों के न्यूनतम भाव तथ अधिकतम भाव वाली मण्डी समितियों के विवरण की फोटो–प्रतियाँ समस्त संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) को उपलब्ध कराते हुए पुनः निर्देशित किया गया कि वे अपने संभाग के अन्तर्गत प्रत्येक माह भावों का विश्लेषण कर अन्तर की राशि की वसूली सुनिश्चित करायें तथ अण्डररेटिंग पर अंकुश लगायें।

दुकान आवंटन

(9) गत बैठकों में समस्त सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) को निर्देश दिये गये थे कि इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि "सम्भाग के अन्तर्गत सभी मण्डी स्थलों में रिक्त दुकानें का आवंटन कर दिया गया है और अब कोई दुकान रिक्त नही है तथा किसी भी दुकान पर अवैध कब्जा नही है।" इस सम्बन्ध में अभी तक किसी भी स0उ0नि0(प्र0/विप0) द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध नही कराया गया है। माह अप्रैल, 2011 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार माह अप्रैल 11 में खाद्यान्न सेक्टर की 30 दुकानें, फल–सब्जी सेक्टर की 211 तथा किसान बाजार (सुपर मार्केट) की 40 दुकानें ही आवंटित हुयी हैं। अभी भी खाद्यान्न सेक्टर की 1033, फल–सब्जी सेक्टर 632 एव किसान बाजार (सुपर मार्केट) की 677 दुकानें आवंटन से रिक्त हैं। समस्त सम्भागीय उपनिदेशक(प्रशासन/विपणन) को आवंटन की प्रगति के प्रति असन्तोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि आगामी माह में सभी रिक्त दुकानों का आवंटन सुनिश्चित कराया जाये।

सुपर मार्केट की दुकानों के आवंटन में आ रही कठिनाईयों की जिज्ञासाओं के परिपेक्ष्य मे यह सुनिश्चित किया गया कि मात्र बड़े मार्केट में ही सुपर मार्केट की योजना स्वीकृत होगी। इसी प्रकार नोएडा मण्डी में फल–सब्जी के लिए निर्मित दुकानों के आवंटन की प्रकिया की प्रेच्छाओं के कम में आवंटन नियमावली में मण्डी शुल्क प्राप्ति के आधार को सुनिश्चित करने हेतु नियमावली मे संशोधन पर विचार करा लिये जाने के निर्देश दिये गये।

गत बैठक दिनांक : 09.03.2011 में निर्देश दिये गये थे कि सभी संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) इस आशय का प्रमाण–पत्र उपलब्ध करायेंगे कि संभाग की सभी मण्डी स्थलो में निर्मित रिक्त दुकानों का आवंटन कर दिया गया है तथा अब कोई भी दुकान रिक्त नहीं है व किसी भी दुकान पर अवैध कब्जा नहीं है।

उपरोक्त के संबंध में किसी भी संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) द्वारा प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि सभी संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) उक्त आशय का प्रमाण–पत्र तत्काल उपलब्ध करायें।

निर्दिष्ट कृषि उत्पाद चमड़ा एवं खाल

(10) निर्दिष्ट कृषि उत्पाद चमड़ा एवं खाल पर दिनांक : 01.04.2011 से प्रभावी मण्डी शुल्क की वसूली सुनिश्चित करने तथा चमड़ा एवं खाल व्यवसाय से सम्बन्धित व्यवसाइयों के लाईसेंस नवीनीकरण आदि के सम्बन्ध में गत बैठक में विस्तृत निर्देश दिये गये थे। माह अप्रैल 11' की सूचना के अनुसार मात्र 41 मण्डी समितियों द्वारा चमड़ा व्यवसाइयों पर 80.45 करोड़ की देयता बनायी गयी है। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश सम्भागों में चमड़ा व्यवसायी से संबंधित कारोबारियों के लाईसेंस बनाने, गेटपास जारी करने तथा मण्डी शुल्क वसूलने की कार्यवाही में शिथिलता बरती गयी और जो कार्यवाही की भी गयी वह अपर्याप्त है। संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) द्वारा उठायी गयी जिज्ञासाओं के कम में पुनः निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की गयी :–

(अ) शासनादेश के कम में जारी परिषद आदेशानुसार मण्डी शुल्क केवल चमड़ा एवं खाल पर ही लिया जायेगा जिस चमड़ा एवं खाल पर मण्डी शुल्क दे दिया गया उससे बने फिनिश्ड गुड्‌स पर मण्डी शुल्क नहीं लिया जायेगा। प्रदेश के बाहर से आने वाले चमड़ा एवं खाल की प्रथम आवक पर नियमानुसार मण्डी शुल्क एवं विकास सेस लिया जायेगा।

(ब) चमड़ा एवं खाल व्यापारियों के पास दिनांक : 31.03.2011 को जो स्टाक था उसकी बिक्री यदि 01.04.2011 के बाद होती है तो उस पर मण्डी शुल्क की देयता शून्य मानते हुए उस पर मण्डी शुल्क न लिया जाये। दिनांक : 01.04.2011 से चमड़े एवं खाल के सौदों पर नियमानुसार मण्डी शुल्क एवं विकास सेस वसूला जाये।

(स) चमड़ा एवं खाल को अधिसूचना द्वारा दिनांक : 25.11.2004 से विनिर्दिष्ट सूची में सम्मिलित किया गया था और दिनांक : 01.04.2006 से 31.03.2011 तक (पाँच वर्षों) के लिए मण्डी शुल्क एवं विकास सेस की वसूली स्थगित की गयी थी। अतएव यदि किसी मण्डी समिति में दिनांक : 25.11.2004 से दिनांक : 31.03.2006 के मध्य निर्दिष्ट कृषि उत्पाद चमड़े पर मण्डी शुल्क एवं विकास सेस की वसूली नहीं की गयी हो तो ऐसी बकाया धनराशि का निर्धारण करते हुए तीन मासिक चरणों में उक्त मण्डी शुल्क एवं विकास सेस की वसूली नियमानुसार कर ली जाये। चमड़ा एवं खाल व्यापारी भी इस पर सहमत हैं।

(द) मण्डी शुल्क से छूट हो या न हो, चमड़ा एवं खाल निर्दिष्ट कृषि उत्पाद हैं। अतएव लाईसेन्स बनाया जाना चाहिये। सभी व्यापारियों के लाईसेन्स बनाये जायें तथा निर्धारित समय सीमा में नवीनीकृत भी किये जाते रहें।

(ध) यह भी निर्देशित किया गया कि जहाँ चमड़ा एवं खाल का अधिक व्यापार हो वहाँ इसके विपणन हेतु पृथक से मण्डी निर्माण पर विचार कराया जाये।

क्रय केन्द्रों पर सुख–सुविधा

(11) प्रदेश की मण्डी समितियों मे स्थापित क्रय केन्द्रों को सुख सुविधा के मद के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक कांटों की उपलब्धता की समीक्षा के दौरान संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) कानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि कानुपर एवं फर्रूखाबाद जिलों में अभी टेण्डर नहीं हुये हैं। फर्रूखाबाद में जिलाधिकारी की अस्वस्थता के कारण पत्रावली विलम्बित है। शेष अन्य सम्भागों में इलेक्ट्रानिक कांटों की उपलब्धता के संबंध में प्रगति सन्तोषजनक है। इस सम्बन्ध में सभी सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) को बैठक में निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारियों से सम्पर्क कर स्थापित क्रय केन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक कॉटे उपलब्ध कराने की व्यवस्था करायें तथा प्रगति से भी अवगत कराते रहें।

(9) **10 x 10 वर्ग किलोमीटर में मण्डी स्थलो की स्थापना**

प्रत्येक 10 वर्ग किलोमीटर पर एक मण्डी/उपमण्डी स्थापित किये जाने सम्बन्धी (कृषि मार्केटिंग हब) योजना के क्रियान्वयन हेतु पैक्स (सहकारिता) एवं पंचायत राज विभाग द्वारा मण्डी स्थलों की स्थापना के सम्बन्ध में कुल 5858 स्थलों के सम्बन्ध में अनापत्तियॉं प्राप्त हुयी थीं जिसमें से 789 के सम्बन्ध में ही सूचना प्राप्त करायी गयी है। इसमें से मात्र 166 स्थल उपर्युक्त पाये गये हैं तथा 622 अनुर्पुक्त पाये गये हैं। शेष 7769 स्थलों के सम्बन्ध में सम्बन्धित संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) सूचना एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायेंगे।

शासन ने उक्त मण्डी स्थलों के निर्माण के लिए टेण्डर कराने हेतु निर्देशित किया है। अतएव संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) व उपनिदेशक (निर्माण) संयुक्त निरीक्षण कर आंगणन तैयार कराकर तीन दिन में प्रेषित करें, जिससे निविदा प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

विकास कार्यों की प्रगति से सम्बन्धित निम्न निर्देश दिये गये :–

1– **01.4.2011 के अवशेष आदर्श मण्डी स्थलों के विस्तार/मरम्मत कार्य।**

माह अप्रैल, 2011 तक निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष निर्माण खण्ड, गोरखपुर, जौनपुर द्वारा 02–02 नग, सहारनपुर आजमगढ़, फैजाबाद एवं सुल्तानपुर द्वारा 01–01 नग कार्य पूर्ण नहीं कराये गये हैं। वि0यॉ0 इलाहाबाद द्वारा 02 नग एवं बरेली द्वारा 01 नग कार्य पूर्ण नहीं कराये गये हैं।

सम्बन्धित समस्त उप निदेशक (नि0/वि0यॉ0) को निर्देशित किया गया कि माह मई, 2011 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

2– **कृषक सेवा केन्द्रो की प्रगति।**

माह अप्रैल, 2011 तक निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष निर्माण खण्ड, बदायूँ द्वारा 03 नग, लखीमपुर, गोण्डा, बहराइच द्वारा 02–02 नग एवं हरदोई, सुल्तानपुर द्वारा 01–01 नग कार्य पूर्ण नहीं कराये गये हैं। वि0यॉ0 इलाहाबाद द्वारा 01 नग कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। सम्बन्धित उप निदेशक (नि0) बदायूँ द्वारा बताया गया कि 01 पूर्ण हो गया है तथा 02 का निर्माण कार्य 15 जून, 2011 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। उप निदेशक (नि0) बहराइच एवं सुल्तानपुर द्वारा माह मई, 2011 में तथा उप निदेशक (नि0) हरदोई द्वारा माह जून, 2011 तक पूर्ण कराये जाने का आश्वासन दिया गया। उप निदेशक (नि0) गोण्डा द्वारा विलम्ब हेतु साइट चेन्ज होने से अवगत कराते हुए शीघ्र पूर्ण कराने का आश्वासन दिया।

समस्त सम्बन्धित उप निदेशक (नि0/वि0यॉ0) को निर्देशित किया गया कि वे शीघ्र ही समस्त निर्माण कार्यो को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

3– **01.4.2011 के अवशेष मण्डी स्थलों के विस्तार/मरम्मत कार्य।**

माह अप्रैल, 2011 तक निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष निर्माण खण्ड, मुरादाबाद द्वारा 02 नग, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, सहारनपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, कानपुर देहात, फर्रूखाबाद, बांदा, इलाहाबाद, गोरखपुर एवं सुल्तानपुर द्वारा 01–01 नग निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराये गये हैं। वि0यॉ0 खण्ड, गाजियाबाद, बरेली द्वारा 03–03 नग, इलाहाबाद द्वारा 02 नग तथा लखनऊ, द्वारा 01 नग कार्य को पूर्ण नहीं कराया गया है।

सम्बन्धित उप निदेशक (नि0) मुरादाबाद एवं कानपुर देहात, द्वारा माह जून, 2011 में पूर्ण कराने तथा अन्य उप निदेशक (नि0) द्वारा माह मई , 2011 में पूर्ण कराने से अवगत कराया गया। उप निदेशक (वि0यॉ0) द्वारा अवगत कराया गया कि सिविल कार्यो के साथ ही विद्युत कार्यो को

पूर्ण करा लिया जायेगा। समस्त उप निदेशक (नि0/वि0यॉ0) को निर्देशित किया गया कि वे समस्त कार्यो को यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

4— <u>01.4.2011 के अवशेष नवीन सम्पर्क मार्गों के कार्य।</u>

माह अप्रैल, 2011 तक निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 30 नग अपूर्ण कार्यो में से सर्वाधिक निर्माण खण्ड, गोरखपुर के 06 नग, जौनपुर के 04 नग, इलाहाबाद के 03 नग, शाहजहॉपुर, एटा, कानपुर नगर, बांदा एवं बस्ती के 02--02 नग कार्य अपूर्ण हैं।

सम्बन्धित उप निदेशक (नि0) गोरखपुर द्वारा द्वारा बताया गया कि अवशेष मार्गो को 15 जून 2011 तक तथा अन्य सम्बन्धित उप निदेशक (नि0) द्वारा बताया गया कि माह मई, 2011 में पूर्ण करा लिया जायेगा। उप निदेशक (नि0) कानपुर देहात द्वारा बताया गया कि मण्डी समिति, छिबरामऊ क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत मार्ग गढ़िया समधन की गुमटी से हनीफ भाई के ट्यूबवेल से इसरार भाई की चक्की फर्रूखाबाद रोड तक" लम्बाई 1.50 किमी0 में से मा0 जनप्रतिनिधि द्वारा मात्र 900 मी0 में ही मिट्टी का कार्य कराया गया है। निर्देशित किया गया कि मात्र 900 मी0 का निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए अवशेष मार्ग हेतु प्रदत्त प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति निरस्त कराने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

सम्बन्धित समस्त उप निदेशक (नि0) को निर्देशित किया गया कि वे अवशेष कार्यो को यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

5— <u>सामान्य निर्देश</u>

- माह अप्रैल, 2011 में रिपल ओवर कार्यो के सापेक्ष भुगतान की प्रगति संतोषजनक नहीं है। भुगतान की प्रगति बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये।
- माह अप्रैल, 2011, तक वित्तीय वर्ष 2008--09 एवं उसके पूर्व के निस्तारण हेतु कुल अवशेष 136 अनुबन्धों में से सर्वाधिक निर्माण खण्ड वाराणसी के 45 नग फिरोजाबाद के 14 नग एवं गोण्डा के 09 नग अवशेष हैं। निर्देशित किया गया कि पूर्व के लम्बित अनुबन्धों का निस्तारण तत्परता से करायें एवं भविष्य में पूर्ण होने वाले कार्यो का निस्तारण परिषद पत्रांक मु0अभि0/(3882 टी0सी0)/2009—85 दिनांक 11.05.2009 द्वारा निर्गत नियमावली के अनुसार कराना सुनिश्चित करें।
- लम्बित आडिट आपत्तियों का निस्तारण प्राथमिकता पर कराना सुनिश्चित करें।
- स्थापित इलेक्ट्रानिक वे--ब्रिजों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि कतिपय वे—ब्रिजों पर कार्यरत कर्मचारी उपस्थित नहीं रहते हैं तथा वे—ब्रिजों में खराबी आने पर उन्हें ठीक होने में काफी समय लगता है जिसके कारण किसानों को असुविधा होती है। समस्त उप निदेशक (वि0यॉ0) को निर्देशित किया गया कि वे सुनिश्चित कर लें कि वे—ब्रिजों पर निर्धारित संख्या में स्टाफ तैनात रहें। वे—ब्रिजों में आ रही खराबी को तत्काल ठीक कराया जाय।

(हस्ताक्षर)
॥ राजेश कुमार सिंह॥
सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1
संख्या - 865/80-1-2011-117/2009
लखनऊ: दिनांक 31 मई, 2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

॥1॥ निदेशक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

॥2॥ निजी सचिव, मा0मंत्री जी, कृषि विपणन विभाग, उ0प्र0लखनऊ।

19/5/2011

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
॥ गया प्रसाद कमल॥
उप सचिव।